न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 117 / 2018

RCMS Case No. 2018 / 00150

प्रार्थी :—	**बनाम**	**अप्रार्थीः—**
सरकार जरिये तहसीलदार सोजत		उदाराम पुत्र मोतीराम सरगरा के का0मु0 1. कैलाश पुत्र उदाराम 2. नाथूराम पुत्र उदाराम 3. तीजा पत्नी उदाराम 4. सरोज पुत्री उदाराम जातिगण सरगरा निवासीगण बगडी नगर 5. संतोष पुत्री उदाराम पत्नी भंवरलाल जाति सरगरा निवासी आलावास 6. उषा पुत्री उदाराम पत्नी प्रकाश जाति सरगरा निवासी सोजत सिटी 7. प्रेम पुत्री उदाराम पत्नी बगदाराम जाति सरगरा निवासी जैतारण 8. ललिता पुत्री उदाराम पत्नि प्रेम जाति सरगरा निवासी खारिया मीठापुर 9. ममता पुत्री उदाराम पत्नी चुतराराम जाति सरगरा निवासी जोधावास तहसील जैतारण

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता अनुपस्थित।

—:: आदेश ::—

दिनांक 31/12/2018

प्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर कार्यवाही की जाती है। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बगडी तहसील सोजत के खसरा नम्बर 3522 रकबा 0.28 हैक्टेयर किस्म बा0अ0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 1401 थे, जो भू–प्रबन्ध से पूर्व गै0मु0 बाला दर्ज थी। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सेटमेन्ट उक्त भूमि बिना किसी सक्षम आदेश के अप्रार्थी के पिता की खातेदारी दर्ज की गई है, जिसका भू–प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नहीं है। चूंकि इस भूमि कि किस्म गै0मु0 बाला थी, जिसका आवंटन नही किया जा सकता है तथा न ही किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है। अतः ग्राम बगडी II के गत खसरा नम्बर 1401 से वर्तमान खसरा नम्बर 3522 तहरीर करते वक्त अप्रार्थी के

अति० जिला कलक्टर, पाली

पिता उदाराम पुत्र मोतीराम जाति सरगरा के नाम दर्ज किए गए इन्द्राज को अपास्त करते हुए वर्तमान खसरा नम्बर 3522 की किस्म पुनः गै0मु0 तालाब दर्ज कराने एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम बगडी II तहसील सोजत के खसरा नम्बर 3522 रकबा 0.28 हैक्टेयर किस्म बा0अ0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 1401 थे, जो सरकारी खाते में बिना कब्जा गैर मुमकीन (बाला) दर्ज था। वक्त भू–प्रबन्ध, सेटलमेन्ट अधिकारीयों द्वारा गत रेकर्ड से नया रेकर्ड तहरीर करते समय गत खसरा नम्बर 1401 से वर्तमान खसरा नम्बर 3522 तहरीर किया गया, जिसमें उक्त भूमि कि किस्म गै0मु0 (बाला) से परिवर्तित कर बारानी प्रथम दर्ज करते हुए अप्रार्थी के पिता उदाराम पुत्र मोतीराम जाति सरगरा के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज कर दी, जिसका भू–प्रबन्ध अधिकारी को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। रेकर्ड के परीक्षण करने से यह स्पष्ट होता है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जो रेकर्ड में तब्दीली की गई है, वह उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा उदाराम पुत्र मोतीराम के पक्ष में किए गए आवंटन से भूमि अप्रार्थीगण के पिता उदाराम के नाम दर्ज की गई है। इस पर आवंटन रेकर्ड का परीक्षण किया गया। रेस्पोडेन्ट के पिता उदाराम द्वारा भूमि आवंटन अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बगडी के खसरा नम्बर 690 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा की भूमि आवंटन कराने का निवेदन किया। इस पर भू आवंटन कमेटी द्वारा खसरा नम्बर 1401 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा की भूमि आवेदक को आवंटन कराने का निवेदन किया। उक्त आवंटन प्रथम दृष्टया विधि विरूद्ध इस कारण प्रतीत होता है, क्योंकि वक्त आवंटन भूमि कि किस्म बारानी दोयम न होकर गै0मु0 (बाला) थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है। अतः अप्रार्थीगण के पिता उदाराम के पक्ष में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै0मु0 (बाला) दर्ज की जानी हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा अप्रार्थी के पिता के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 23.04.1976 विधि विरूद्ध होने के कारण उक्त आंवटन एवं आवंटन की पालना में दौराने सेटलमेन्ट राजस्व रेकर्ड में बिना नामान्तरकरण के विधि विरूद्ध रूप से किए गए इन्द्राज निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा अप्रार्थीगण के पिता उदाराम पुत्र मोतीराम जाति सरगरा के पक्ष में पारित आवंटन आदेश दिनांक 23.04.1976 एवं भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गत खसरा नम्बर 1401 से वर्तमान खसरा नम्बर 3522 तहरीर करते समय किस्म परिवर्तन के सम्बन्ध में किए गए इन्द्राज को अपास्त करते हुए वर्तमान खसरा नम्बर 3522 की किस्म पुनः गै0मु0 (बाला) दर्ज कराने एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर,पाली
अति० जिला कलक्टर, पाली